60

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 581—तीन/2011 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 25—01—2011 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म0 प्र0 के प्रकरण कमांक 484/निगरानी/2007—08.

.....

शुभेन्द्र मिश्रा तनय श्री देवेन्द्रनाथ मिश्र
निवासी ग्राम मनगवां तहसील सिरमौर
जिला रीवा म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

हीरामणि शर्मा तनय श्री बीरभद्र ब्रा0 (मृतक)
वारिसानः—
1—श्रीमती प्रेमा उपाध्याय पत्नी अनिरूद्र प्रसाद
पुत्री स्व0 श्री हीरामणि शर्मा
निवासी बेल्वा पैकान तहसील मनगंवा जिला रीवा म0प्र0
2—श्रीमती सुशीला पाण्डे पत्नी स्व0 श्रीबैजनाथ पाण्डे
पुत्री स्व0 श्री हीरामणि शर्मा
निवासी ग्राम गढ़ी तहसील रायपुर कचुलियान
जिला रीवा म0प्र0
3—भैयालाल पुत्र स्व0 श्री हीरामणि शर्मा
4—मु0 मुस0 छठिया पत्नी स्व0 श्री हीरामणि शर्मा
5—कैलाश स्व0 श्री हीरामणि शर्मा
निवासी ग्राम सुरा तहसील मनगंवा जिला रीवा म0 प्र0
हाल निवासी मनगंवा (खमहरी) तहसील मनगंवा जिला रीव म0प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0 के0 वाजपेयी, अभिभाषक, अनावेदकगण

———

आदेश

(आज दिनांक 11.01.2018 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–01–2011 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2–प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र नायब तहसीलदार कैम्प कोर्ट मनगंवा तहसील सिरमौर के न्यायालय में प्रस्तुत किंया जाकर जरिये अंतिम इच्छा पत्र के आधार पर नामांतरण किये जाने बावत धारा 109/110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । हीरामणि द्वारा आपत्ति आवेदन पत्र दिनांक 27.12.07 को निरस्त किया गया इसी से दुखित होकर कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जो उनके द्वारा 28.2.08 को आवेदन औचित्यहीन होने से निरस्त किया गया। इसी से दुखित होकर अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 25.01.2011 को स्वीकार की गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 25.1.2011 पारित किया है उसमें कोई बिन्दु निराकृत ही न किये जाने से अवैधानकि एवं तालिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से कायम रखने योग्य नहीं है। विचारण न्यायलय में मामला अनावेदक हीरामणि के साक्ष्य के लिये नियत था उन्होंने विचारण न्यायालय में कोई साक्ष्य नहीं दिया, बल्कि नामांतरण के मामले को इस आधार पर स्थगित रखने केलिये आवेदिका के स्वत्व को बिवाद माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है और वहां से यथास्थिति कायम रखने का आदेश है इसलिये नामांतरण की कार्यवाही स्थगित रखी जाय। विचारण न्यायालय ने दिनांक 26.12.07 को अनावेदक की उक्त आपत्ति निरस्त करते हुये साक्ष्य के लिये मामला नियत किया तथा उसी आदेश दिनांक 26.12.07 को अपर कलेक्टर ने दायरा के बिन्दु में ही आदेश दिनांक 28.8.08 द्वारा अनावेदक की निगरानी निरस्त किया था जिस आदेश में कोई विधिक तात्विक त्रुटि नहीं थी। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क था कि व्यवहार न्यायालय में कोई मामला लंबित होने के आधार पर भी राजस्व न्यायालय की कार्यवाही रोकने का औचित्य नहीं होता क्यों कि

धारा 257 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता के अधीन राजस्व न्यायालय को कार्यवाही करने का एकांकीय क्षेत्राधिकार है। तर्क में यह भी कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय में बिवाद के किसी बिन्दु का न्यायिक विनिश्चन किया एक पक्ष का साक्ष्य समाप्त हो जाने के बाद यदि दूसरे पक्ष द्वारा साक्ष्य न देने का मामले को लंबित रखने का तो ऐसा अनवरण आवेदक का सद्भावी नहीं था । अपर आयुक्त का आदेश त्रुटिपूर्ण है तथा कायम रखने योग्य नहीं है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 25.1.2011 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि माननीय उच्च न्यायालय में स्वत्व संबंधी द्वितीय व्यवाहार अपील प्रस्तुत होना तथा उसमें आवेदक पक्ष के साक्ष्य का उपस्थित होना निर्विवाद है तथा प्रस्तुत नामांतरण आवेदन जो इच्छापत्र के आधार पर भी स्वत्व ही अर्जित होगा जिससे राजस्व न्यायालय पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय व्यवहार अपील का आदेश बंधनकारी होगा जिससे नामांतरण आवेदन में की गई कार्यवाही औचित्यहीन थी, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश विधि प्रकिया से उचित है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अंत में अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त की जाकर अपर आयुक्त रीवा का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र नायब तहसीलदार कैम्प कोर्ट मनगंवा तहसील सिरमौर के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाकर जरिये अंतिम इच्छा पत्र के आधार पर नामांतरण किये जाने बावत धारा 109/110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। हीरामणि द्वारा आपत्ति आवेदन पत्र दिनांक 26.12.07 को नायब तहसीलदार द्वारा निरस्त करते हुये प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया लेकिन हीरामणि द्वारा तर्क न करने के बजाय अपर कलेक्टर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जो विचारण न्यायालय द्वारा आपत्ति निरस्त की थी वह उनके द्वारा उचित माना गया। अपर आयुक्त रीवा द्वारा मात्र इस आधार पर अनावेदक की निगरानी स्वीकार की गई है कि व्यवहार न्यायालय में लंबित मामला है इसलिये नामांतरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

6–आवेदक अधिवक्ता द्वारा माननीय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 सिरमौर जिला रीवा का व्यवहारवाद कमांक 418ए/2011 में पारित आदेश दिनांक 9.2.16 के आदेश की प्रति प्रस्तुत की जिसमें माननीय सिविल न्यायालय द्वारा आवेदक शुभेन्द्र द्वारा प्रस्तुत आदेश 22 नियम 5 सी0 पी0 सी0 के अन्तर्गत आवेदन स्वीकार किया गया है। इससे यह सिद्व होता है कि शुभेन्द्र को लोलरिया का उपपिण्ड वारिस माना गया है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

7–उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म0 प्र0 के प्रकरण कमांक 484/निगरानी/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 25.01.2011 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार सिरमौर का प्रकरण कमांक 41/अ–6/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 26.12.07 तथा अपर कलेक्टर जिला रीवा का प्रकरण कमांक 255/अ–6/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 28.02.08 उचित होने से स्थिर रखे जाते हैं। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि माननीय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 सिरमौर जिला रीवा का व्यवहारवाद कमांक 418ए/2011 में पारित आदेश दिनांक 9.2.16 के परिपालन में तथा उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर करें।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर